फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

रामेश्वरी बनाम कल्याण

संख्या 76/19.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9/2/24	पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता सुशील शर्मा हाजिर। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता कुलदीप किशोर शर्मा हाजिर। प्रतिवादी संख्या (7) प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-7 नियम 11 पर कुछ बहस सुनी गई। बाकी आदेश दिनांक 12/2/24 को पेश हो।	
12/2/24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष हाजिर। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी का वाद वादकारण के अभाव में चलने योग्य नहीं है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Meena
Date: 2025.05.01 11:22:53 IST
Reason: SelfAttested

आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	इस वाद में वर्णित तथ्यों के अनुसार पूर्व वादीगणों द्वारा एक सिविल वाद संख्या 25/2017 न्यायालय जिला न्यायाधीश जयपुर के समक्ष पेश किया था, जो गुणावगुण पर उनका साक्ष्य न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
	वादी ने वाद के चरण संख्या (8) में स्वयं उल्लेखित किया है कि विवादित भूमि खसरा नं 13/2 में से रकबा ~~करीब~~ 19 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादीगण एवं अन्य हिस्सेदारों आवंटित की गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगणों को यह भूमि सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण [illegible] आवंटित की गई है। [illegible] भूमि अवाप्ति अधिकारी की कार्यवाही से वादीगणों को कोई आपत्ति है तो उसे उनके समक्ष चुनौती [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Meena
Date: 2025.05.01 11:22:53 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

श्योजी बनाम कल्याण

...ग संख्या

...या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है, प्रतिवादी संख्या (2) एक सद्भावी क्रेता है जिसने विवादित भूमि को जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 31-3-2025 के द्वारा क्रय किया है, उक्त विक्रय पत्र आदिनांक तक किसी प्राधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है. अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं है. वादी/अप्रार्थी ने दौराने बहस जाहिर किया कि वादी ने वाद के चरण संख्या (11) में वाद कारण का उल्लेख किया है कि प्रतिवादी संख्या (1) ने फर्जीवाड़ी का प्रतिवादी संख्या (2) को [illegible] बहुगत [illegible] को अपने [illegible] क्रय-बेचान को [illegible] वादीगण के मुकाबले अवैध एवं शून्य है.	

उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Meena
Date: 2025.05.01 11:22:53 IST
Reason: SelfAttested

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने का हम पाते हैं कि - (1) वादी ~~मिश्र वाद कार०~~ ने विवादित भूमि के प्रतिवादी संख्या-1 से प्रतिवादी संख्या 2 के हस्तान्तरण को अवैध एवं शून्य होने के आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया है, उक्त हस्तान्तरण को सक्षम न्यायालय जिला न्यायाधीश, जिला [illegible] में दीवानी वाद संख्या 251/2007 उनवान बदामी देवी बनाम कन्हैया बैरवा - विक्रय पत्र दिनांक 31-03-2005 के निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, ~~जिसे~~ वाद को [illegible] ~~निरस्त~~ [illegible] कर दिया है जिससे उक्त विक्रय पत्र अक्षुण्ण (Intact) रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Meena
Date: 2025.05.01 11:22:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

.... बनाम ....

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	ऐसी स्थिति में वादी को यह वाद प्रस्तुत करने का कोई कारण शेष नहीं रहा है। इसका विवादित खसरा प्रतिवादी संख्या (1) को भूमि अवाप्ति अधिग्रहण कार्यवाही में आवंटित की गई है उस इस स्तर पर उक्त मामला इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः वादी का वाद वादकारण के अभाव एवं क्षेत्राधिकार के परे होना सिद्ध है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश (7) नियम (11) स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Meena
Date: 2025.05.01 11:22:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला-जयपुर